GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH

Fee Structure-

ADMISSION OF U.P. (M.B.B.S.) STUDENT

(As per G.O. No.	2240/71-3-10-328/91	dated 20-08-2010)

F H 1	BOYS		3-10-328/91 dated 20-08-2010) GIRLS		
Fee Heads	GEN Fee (Amount Rs.)	OBC/SC/ST Fee (Amount Rs.)	GEN Fee	OBC/SC/ST Fee	
Tution Fee	18000	9000	(Amount Rs.)	(Amount Rs.)	
Other Fee	4000	4000	18000	9000	Annual
Development Fee	2000		4000	4000	Annual
Admission Fee	2000	2000	2000	2000	Annual
Tamission I CC	2000	2000	2000	2000	Only at the time of
Caution Money	10000				admission
Caution Money	10000	10000	10000	10000	Only at the time of
Hostel Fee	0400 m				admission
	2400 (Double seated)	2400 (Double seated)	2400 (Double seated)	2400 (Double seated)	Annual
Electric Fee	2400	2400	2400		
Total	40800	31800	40800	2400 31800	Annual

MODE OF FEE PAYMENT: By Demand Draft- In favour of Principal, Government Medical College, Azamgarh

(Fee is valid only after document verification)

01- Allotment Letter

Admit Card of Entrance Test

Result/Rank Letter of Qualifying Examination

Online Registration Proof (Only for State quota candidates)

Document Verification Slip (Only for state quota candidates)

02- High School & Intermediate Pass Mark sheet & Certificate

03- Others Examination Pass Mark Sheets & Certificate (If applicable)

04- Transfer Certificate - If Intermediate Passed from UP Board

or

Migration Certificate- If Intermediate or Other exam Passed from other Board/University

- 05- If Applicable then Caste/Other Reservation certificate as per format/Instructions given in Information Brochure or guidelines issued by UPDGME,
- 06- If Highschool or Intermediate or Both exams passed from other state then domicile certificate as per format/Instruction given in Information Brochure or guidelines issued by UPDGME, Lucknow (Only for those students who are allotted through State Quota)
- 07- Character Certificate issued by last educational institution
- 08- Aadhar Card
- 09- Non Judicial Stamp Paper of Rs. 10/- regarding Anti Ragging Affidavit by Student
- 10- Non Judicial Stamp Paper of Rs. 10/- regarding Anti Ragging Affidavit by Parents
- 11- Non Judicial Stamp Paper of Rs. 10/- regarding gap (>1 year) after inter/Other exam
- 12- Non Judicial Stamp Paper of Rs. 100/- regarding Service Bond
- 13- Two passport size colour combined photographs of Student with parents
- 14- A total of 06 photographs of student as on admit card
- 15- Two sets of self-attested photocopy of documents within on S. No. 01 to 08
- 16- Any other document as per new Guidelines Only for state quota candidates



उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम-2013 <u>छात्र का आश्वासन</u>

1.群	<u>छात्र का आश्वासन</u> भेरिट जिसे (नीट गूठजी० - 20 रोह्म प्रचानों में 2009 के जोशिय पर निर्माण के व्यक्त के प्राणित पर निर्माण के व्यक्त में एक्स
अनुकमांक	भीरेट अपुत्र भी अश्वासन भीरेट पुण्जी० - 20 सने उच्च शैक्षिक संस्थानों में 2009 के जोखिम पर नियंत्रण सम्बन्धी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो वेनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ दिया है।
दिया गया है, उ	सने उच्च शैक्षिक संक्रा रे
इसके आगे से वि	सने उच्च शैक्षिक संरथानों में 2009 के जोखिम पर नियंत्रण सम्बन्धी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की हैं (जो वेनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है। से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा गुझे इस बात का संझान है कि रैगिंग में कौन सी बातें धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष कप से एस है नक्ष हैं
2.मैने विशेष रूप	से इन विनियमों की धार १ वर्न यानियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपर्वक पर अन्य परिवर्ण प्राप्त की है (जो
3.मैने विनियमों की	धारा 7 एवं 91 को भी क्रिकेट भे
गरिं से सचत है	जो मेरे 👇
को सिक्य अथवा	्रां नर विरुद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग निष्ठ रूप से प्रमाणित करता / करती हूँ एवं आख़ासन देना / हेती में कि
4.4 एतदहारा चला	निष्य कम ने न
(क.) मैं ऐसे कि	ाछप तार स प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैमिंग निष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि — ही व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की घारा 3 के अन्तर्गत रैंगिंग के
रूप म मान	चित्र सहस्र भे.
(ख.) मैं ऐसे किर	ी आचरण अथवा अन्यवस्था के कार्य
में शामिल ह	ी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके षड्यन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साहन होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5.भैं, एतद्द्वारा प्रमा	िछना जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है। उन्हों के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपारिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपारिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपारिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपारिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपारिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपारिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपारिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपारिक कार्यकार के अन्य किसी आपारिक कार्यकार के अन्य किसी अनुसार के अनुसार
किसी चालू दण्डात	ात करती / करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है। करती हूँ कि इस देश के किसी अपराधिक मामले के प्रति
6.मैं घोषित करना /	करते र व निर्मा के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है।
गडकान म अधना	ट्यामें भाग रेरे रे
मैं यह भी प्रमाणित	करता / करती हैं कि गर्दि की मई कर लेए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रवेश से वाधित किया है
घोषित किया गय	ादिन माह वर्ष
	वर्ष
	शपथकर्ता के हस्ता <mark>क्षर</mark> नामः
	भाष.
	सत्यापन
सत्यापित किया जाता	है कि ग्रह तन्त्राचनक ४४ :
इसम काथत कोई भी	बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयथार्थ कही गयी है।
सत्यापित (स्थान)	दिन माह वर्ष
	100,000,000
	wrong 4
	शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम–2013 1.मैं	
माता-पिन (क्रि.)	
1.मैं <u>माता-पिता/अभिमावक द्वारा दी गयी प्रतिबद्धता</u> अनुक्रमांक मेरिट मोति जुत्र/पुत्री को (नीट यू०जी०-20 (मिरा के नाम का	
अनुक्मांक माता-पिता/अभिमावक वारा दी गयी प्रतिबद्धता अनुक्मांक मिरिट माता-पिता/अभिमावक गया है. इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में 2009 में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से सम्बद्ध यूजीसी विनियमों (जो आगे है।	
निवास ने जच्च शैक्षिक संस्थानों में 2009 में भीति है ने की	
है।	या
विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लि 2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा हो किया है तथा है तथा है विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लि	स
2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैंगिंग में क्या बात शामिल है रैंगिंग की अथवा रैंगिंग में सहायक होने की सकिय शास किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूं कि एकि रिकार	या
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संत रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सिक्य अथवा छिपे तौर से दोषी पाया / पाई जाता / जाती है अध्यय हैति के षड्यन्त्र का एक हिस्सा होता / होती है हो उन्हें कि कि	à 1
देने के षहरान्य का पान के सहायक होने की सिक्य अथवा छिपे तौर से दोशी गाए (र्वा)	ः। नि
रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सिक्य रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संत देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यान मागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।	 वा
4.में एत्ट्टाण सम्मिक्त — १	वह
4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि — (क.) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैंगिंग माना ग	
है।	
(ख.) मेरी संतान जानबूझकर अथवा मूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना	या
उसे प्रोत्साहित करेगी किसे कर है	
0.7/1481/1 4 d2 811194 9294 / 2-11 4 D - 0 / 0	
धारा 9.1 के अनुसार द्वार की अपरेक्ट 🛬	
पण्ड भरा भतान के किन्द्र किनी की नाम - ०	
0.000 First 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	
प्रति प्रतिथिक होने की अंशता ष्रहाने का पर्न के प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति के होती अंश	Tar
कारण निष्कासित नहीं हुई है / इस है तथा मैं यह भी परित राज्य है के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष	के
को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जारोगा।	गन
घोषित किया गयादिन माह वर्ष	
99	
शपथकर्ता के हस्ता	क्षर
नामः	
पताः	
दूरमाष सं./मो.नं.	
<u>सत्यापन</u>	
सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है त	खा
रतम कार्यत कोई में। बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयथार्थ कही गयी है।	
तत्यापित (स्थान)दिन माह वर्ष	
शपथकर्ता के हस्त	ाक्षर
नामः	

	并		
2. 3. 4.	यू0जी0 / पी0जी0-20	है। परीक्षा	/ करती हूँ कि — । कर रहा था।
	मेरे द्वारा की गयी उक्त घोषणाएं, प्रवेश के समय प्रस्तुत स	ामस्त अभिलेख एवं सूचनाएं पूर्णतया सत्य नामः पताः	हैं। शपथकर्ता के हस्ताक्षर
		दूरभाष सं./मो.नं.	

AGREEMENT BOND FOR CANDID	ATES ADMITTED TO
M.B.B.S. COURSE	SESSION
THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT	
BETWEEN	
NAME	
S/O, D/O, W/O	
RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS)	
(TEMPORARY ADDRESS):	
MOBILE NO.:	
E-Mail id.:	
AADHAR No.:	
Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part	
AND	
Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government	") of the Second Part.
WHEAREAS FIRST PARTY has applied for admission to	course and FIRST PARTY has
been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST I	PARTY has agreed to serve the Government for a period
not less than two year after successful completion of the	course.
If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of t	wo year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of
Rs 10 Lacs for Degree to Government at the specified Governmen	t Treasury.
During the above period the FIRST PARTY shall be paid Stipend	and the Government will request their services within a
period of three months from the date of successful completion of th	ne course. In case the Governmen
does not provide convices in mentioned period, the BOND shall be	released; AND WHEREAS the FIRST PARTITIES als
completion of the	urse his/her certificates relating to
at the given to the FIRST PARTY unless the FIRST PA	RTY successfully Serves the Government for a portion
course will not be given to the Fire Fire Fire Francisco and the sum of Rs	(Rupees) only
WA VASE OF DRY IN THE COVERTIFICATION OF COMMON CONTROL	

If the FIRST PARTY	fails to deposit the	esaid amount in specified per er applicable law during th			
the rates specified	by the Government	esaid amount in specified p	eriod FIRST DADDY	Stome and the	
have, at the reque	st of the FIRST DAR-	esaid amount in specified per ar applicable law during the	Period 'of delay: AA	snall be liable to pay in	nterest at
stipend to him/her	for a period of or	er applicable law during th	employed as	ID WHEREAS the Go	vernment
	period of 24 moi	nths effect from	in order	to enable his/her to	. granted
AND WHERE AS it	the FIRST DI ADTI	college.	0,001	to onable marier to	study at
during the	Super and the	college.	work s for	a period of less than 2	24 months
Graduate Degree	MRRS/DDO	course DM/MCH/	Post Graduate	Degree MD/MS/Dipk	oma/MDS/
- 19:00	mobs/bbs course, the	proportionate amount v	vill be treated as st	tipend and the FIRS	T PARTY
	- , and too diffe	JULIE OF SUDANT TO THA COV	ornmont This hand	-111 !11 (-1	. 1500
	, as and unite pellig if	1 10108, and the rights a	nd liabilities shall, w	here necessary, be a	eccordingly
,	appropriate courts in IUdis	a.			
1 The FIDOT DA	OF AGREEMENT BOND	WITNESSES AS FOLLY	VOS: -		
i. The FIRST PAI	RTY has agreed to serv	e the Government for a	period of two year	on successful comple	etion of the
Supe	r specialty course DM/Mo	CH/Post Graduate Degree	MD/MS/Diploma/MI	OS/Graduate Degree	MBBS/BDS
		e Government for a period			nwith a sum
		only) to the Government			
2. The FIRST PAF	RTY Agrees that till the so	accessful completion of the	e period of two year	service to the Gover	nment or till
the payment of Re	S (Rupees) (nly is paid the certif	icates relating to	
Super specialty co	urse DM/MCH/	Post Degree	MD/MS/Diploma/MI	OS/ Graduate Degree	MBBS/BDS
course shall be in	the custody of the Conce	erned Institution/University	/College and the Go	overnment has a First	lien over all
_	ned by the candidates at				
3. The FIRST PA	RTY authorizes the Conc	erned Institution/Universit	y/College for retention	on of the certificates	till the lien of
Government is de	•				
4. This BOND sha	II in all respect be govern	ned by the Laws of India,	for the time being in	force, and the rights	and liabilities
		ermined by the appropriat			
		aforesaid amount in specif			
		per applicable law during t		ailing which Governm	ent shall have
		her with interest as arrear			
6. The FIRST PAI	RTY shall borne the Stan	np duty chargeable on thi	s BOND IN WITNES	SS WHEREOF partie	s to this Deed
have signed this E	OND on the date first ab	ove mentioned.			
For and	behalf of			For and behalf of	0.70
FIRST F	PARTY			Governor	
()		(1)
•					
				100	
Witnesses: -					to by on to
					347 W
			196 317		
			The Later		
				Harage V	Tajanja - a-